...यालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 42/2019 प्रार्थना पत्र
GCMS No. – 2019/00172

1. भगवानलाल पिता श्री भागीरथजी अहीर निवासी मालियाखेडी तह० निम्बाहेडा
.....प्रार्थी

बनाम

1. मेरुसिंह पिता श्री मोहनसिंह राजपुत निवासी मालिया खेडी तह० निम्बाहेडा
2. भगवतसिंह पिता श्री मोहनसिंह राजपुत निवासी मालिया खेडी तह० निम्बाहेडा
3. फतेहसिंह पिता श्री मोहनसिंह राजपुत निवासी मालिया खेडी तह० निम्बाहेडा
4. नवलकुंवर बेवा श्री मोहनसिंह राजपुत निवासी मालिया खेडी तह० निम्बाहेडा(नाम विलोपित)
5. अमरसिंह पिता श्री गमेरसिंहराजपुत निवासी मालिया खेडी तह० निम्बाहेडा
6. भूमि धारी तहसीलदार साहब निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
7. मैनेजर चित्तौडगढ बून्दी क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक लिमी० शाखा लसडावन तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित :– 1– श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1,2,3,4
3– श्री गोपाल आचार्य – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 5
3– श्री माणकलाल चपलोत – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 7

:: निर्णय :: दिनांक :– 29.12.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है ग्राम मालियाखेडी की आराजी नम्बर 63,64,65,66,67,68,69,191 भूमि स्थित है। विपक्षी नं0 1 से 3 के पिता एवं विपक्षी नं0 4 के पति स्व० मोहनसिंह पिता किशनसिंहजी राजपुत निवासी मालियाखेडी एवं स्व० गमेरसिंह पिता किशनसिंहजी राजपूत के संयुक्त 1/2 हिस्सा दर्ज कृषि भूमि का खाता दर्ज रेकार्ड रहा हैं।

2. प्रार्थना पत्र पेश पर निवेदन किया कि प्रार्थी ने संयुक्त खातेदारी की भूमि में से पुरा हिस्सा 1/2 याने 8 बीघा 6 बिस्वा स्व० गमेरसिंह ने विक्रय पत्र निष्पादन प्रार्थी के पक्ष मे किया कि प्रार्थी को स्व० विक्रेता गमेरसिंह ने कब्जा सौंप दिया था मगर मोहनसिंह एवं गमेरसिंह की मृत्यु हो जाने से मृत्यु का नाजायज फायदा उठाते हुए कुए के समीप ही अपने आवास कायम करके कब्जे संबंधी व्यवधान करके प्रार्थी को फसले उगाने व कमाने से विपक्षीगण महरुम करने लगे विपक्षी नं0 5–6 की अगुवाई में वर्ष 1995 में प्रार्थी को जबरन बेदखल कर दिया, जिससे बटवाडा 1/2 हक के साथ 2 हिस्से में आने वाली भूमि रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि मय आ०चाह० संख्या 38 में 1/4 हिस्सा सिंचाई हक के साथ पुख्ता कब्जे याबी की डिक्री भी प्रदान किए जाने हेतु निवेदन किया है। इसलिए प्रार्थीगणो विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण में अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की निवेदन किया कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा गमेरसिह के 1/2 हिस्से का विक्रय पत्र द्वारा खरीदा गया है। जबकि किशनसिह के दोनों पुत्र मोहनसिह व गमेरसिह का 1/2, 1/2 हिस्सा निहित था जिसमें गमेरसिंह द्वारा 1/2 हिस्से का बैचान इकरार नानालाल पिता चुन्नीलाल कोठारी को दिनां 2–1–1958 को विक्रय कर दिया था जिसे अप्रार्थी सं० 1 से 4 के पिता मोहनसिंह द्वारा नानालाल से 1600/– रूपये में पुनः क्रय करके अपने कब्जे में ले ली थी तथा इसे पश्चात उक्त आराजियात सामलात होने से बंटवाडा बाबत वाद पत्र माननीय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के समक्ष विचाराधीन था। इस दौरान प्रार्थी द्वारा कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण होने के बावजूद उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 26–9–1978 को बिल एवज 18000/– रूपये में क्रय करना बताते हुए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पंजीकृत करवाई। जिसकी जानकारी अप्रार्थी सं० 1 से 4 को कतई नहीं थी और उक्त पंजीकृत विलेख गमेरसिह द्वारा किया गया या नही किया गया इस बाबत भी अप्रार्थीगणों को जानकारी नही थी तथा गमेरसिह के जीवनकाल में कभी भी कब्जा काश्त प्रार्थी का नही रहा तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में विचाराधीन वाद पत्र को दिनांक 13.9.06 को नोट प्रेस में विड्रो करते हुए खारिज फरमाया गया तथा न्यायालय द्वारा पुनः नये सिरे से वाद पत्र प्रस्तुत करने बाबत कोई दिशा निर्देश नही दिये गये थे इसके बावजूद भी प्रार्थी ने पूर्व में विचाराधीन वाद पत्र सं0 63/2005 को नोट प्रेस में विड्रो किये जाने की इजाजत लेकर बिना न्यायालय के दिशा निर्देश लिये दुबारा उक्त विवादित कृषि भूमि बाबत वाद पत्र सं० 183/2006 प्रस्तुत किया जो चलने योग्य नही है। उक्त विवादित कृषि भूमि प्रारम्भ से ही अप्रार्थी सं० 1 से 4 के नाम खातेदारी दर्ज होकर कब्जा काश्त किया जा रहा है तथा प्रार्थी उक्त कृषि भूमि में कभी भी उपयोग व उपभोग नहीं किया है तथा दो भाईयों के बीच चलते हुए विवाद के दौरान वाद पत्र के विचाराधीन रहते हुए यह विक्रय विलेख निष्पादित करवाया। ऐसी सूरत में उक्त विक्रय विलेख सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रारम्भ से ही शून्य है तथा उक्त विक्रय विलेख को अलग से खारिज कराने की भी आवश्यकता नही है तथा इसके पश्चात गमेरसिह व उसके वारिसान द्वारा 1/2 हिस्से कां बंटवाडा किये जाने के बाद हकतर्कनामा के तहत अपना समस्त हिस्सा अप्रार्थी सं० 1 से 4 के पक्ष में पंजीकृत हकतर्कनामा के तहत हस्तान्तररित कर दिये गये है जो मूल पत्रावली के साथ संलग्न है ऐसी सूरत में हकतर्कनामे निष्पादन की दिनांक से ही गमेरसिंह के 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं० 1 से 4 के पक्ष में निष्पादित किये जाने से नामान्तरण अप्रार्थी सं० 1 से 4 के पक्ष में निष्पादित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थी 1 से 4 के पक्ष में दर्ज की गई तथा उक्त कृषि भूमि का कब्जा काश्त भी अप्रार्थी सं० 1 से 4 के पक्ष में चला आ रहा है जो वर्तमान में कायम है। दावा 63/2005 समस्त प्रकरण माननीय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे और उक्त प्रकरणों में प्रकरण सं० 70/1972 ब अनवान गमेरसिंह बनाम मोहनसिंह में प्रार्थी पक्षकार ही नहीं था तथा प्रकरण सं० 159/1987 बअनवान गमेरसिह बनाम नवल बाई एवं अन्य निर्णय दिनांक 28–11–1990 द्वारा प्रार्थी एवं अन्य पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 22 नियम 10 खारिज फरमाया गया तथा आगामी प्रकरण सं0 112/1995 बअनवान गमैरसिंह बनाम नवलबाई एवं अन्य में गमेरसिह के वारिसान द्वारा राजीनामा किया जाकर दोनों पक्षकारों मे राजीनामा होने से उक्त प्रकरण माननीय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा खारिज फरमाया गया तथा आगामी प्रकरण सं0 63/05 में प्रार्थी भगवानलाल अहीर को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया तथा प्रार्थी को अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने हेतु कहा गया। लेकिन स्वयं प्रार्थी द्वारा ही उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 13–9–06 को न्यायालय के समक्ष नोट प्रेस में विड्रोल किया जाकर खारिज किये जाने का निवेदन किया। जिसकी पालना में न्यायालय द्वारा दिनांक 13–9–06 को उक्त वादपत्र नोट प्रेस में खारिज फरमाया गया। ऐसी सूरत में वर्तमान वादपत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया। जो सिविल प्रकिया संहिता आदेश 2 नियम 2 सपठित धारा 151 सी पी सी के तहत

निरस्तनीय है तथा उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 27–10–04 को कोई वाद हेतुक प्रकट नही होता और प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

4. विपक्षी संख्या 5 श्री अमरसिंह पिता श्री गमेरसिंह द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि किशनसिंह के दोनो पुत्र मोहनसिंह व गमेरसिंह का 1/2–1/2 हिस्सा निहित था, जिसमें अप्रार्थी संख्या 5 का भी पुश्तैनी कृषि भूमि होने से जन्म से ही हिस्सा निहित था तथा विपक्षी संख्या 5 श्री अमरसिंह की माता जसकंवर का भी पुश्तैनी हिस्सा चला आ रहा था। ऐसी सूरत में गमेरसिंह की पत्नि जसकंवर द्वारा उक्त कृषि भूमि में निहित 1/2 हिस्से का पंजीकृत हकर्तकनामो द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा मोहनसिंह एवं उनके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 से 4 में हस्तान्तरित कर दिया। ऐसी सूरत में प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वो खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रचलित किए जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

1. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी का स्वामित्व या कब्जा होना प्रथम शर्त है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.09.1978 से प्रार्थी ने 1/2 हिस्सा क्रय किया जिसमे प्रार्थी को कब्जा मौके पर देना बताया। प्रार्थी की खरीदशुदा वादग्रस्त आराजियात का 1/2 हिस्से का ग्राम माल्याखेडी की नामान्तरकरण संख्या 137 से प्रार्थी के पक्ष में खुला जिसका अमल ग्राम माल्याखेडी की जमाबन्दी सम्वत 2039 से 2042 की जमाबन्दी में दज हुआ व जमाबन्दी सम्वत् 2044 से 47 में दर्ज रेकार्ड रही। वादग्रस्त आराजियात का 1/2 हिस्सा प्रार्थी की खरीदशुदा होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है।

II. <u>अपूरणीय क्षति</u>– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्ररकण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.09.1978 से प्रार्थी ने 1/2 हिस्सा क्रय किया जिसमे प्रार्थी को कब्जा मौके पर देना बताया। प्रार्थी की खरीदशुदा वादग्रस्त आराजियात का 1/2 हिस्से का ग्राम माल्याखेडी की नामान्तरकरण संख्या 137 से प्रार्थी के पक्ष में खुला जिसका अमल ग्राम माल्याखेडी की जमाबन्दी सम्वत 2039 से 2042 की जमाबन्दी में दज हुआ व जमाबन्दी सम्वत् 2044 से 47 में दर्ज रेकार्ड रही। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया की विपक्षीगण द्वारा आपस में दुर्भीसंधि कर गलत तथ्यो पर आधारित न्यायालय में गलत तथ्य पेश कर वादग्रस्त आराजियात को विपक्षीगण ने अपने नाम दर्ज करा ली । हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी का खरीदशुदा हिस्सा ग्राम माल्याखेडी की जमाबन्दी सम्वत् 2060 से 2063 अनुसार विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.09.1978 से विवादित आराजियात का 1/2 हिस्सा को सुरक्षित रखने का अधिकार है । क्योंकि उक्त विवादित आराजियात का बेचान होने के बाद वाद की बहुलता बढ़ने से नये पक्षकारों के आने से विवाद बढेगा जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के बनने वाले हिस्से को

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में हैं ।

III. **सुविधा का संतुलन** :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन की प्रार्थी के पक्ष में है।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। पत्रावली के अवलोकन में वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा मालियाखेडी पटवार हल्का फलवा के आराजी नम्बर 63,64,65,66,67, 68,69,191 कुल किता 8 कुल रकबा 3.59 हैक्टेयर भूमि में से स्व गमेरसिंह पिता किशनसिंह का 1/2 हक हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.09.1978 से क्रय किया ग्राम माल्याखेडी की नामान्तरकरण संख्या 137 से प्रार्थी के पक्ष में खुला जिसका अमल ग्राम माल्याखेडी की जमाबन्दी सम्वत 2039 से 2042 की जमाबन्दी में दज हुआ व जमाबन्दी सम्वत् 2044 से 47 में दर्ज रेकार्ड रही प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया की विपक्षीगण द्वारा आपस में दुर्भीसंधि कर गलत तथ्यो पर आधारित न्यायालय में गलत तथ्य पेश कर वादग्रस्त आराजियात को विपक्षीगण ने अपने नाम दर्ज करा ली जिसको प्रार्थी द्वारा अपने मूल वाद में अपने हक हिस्से की घोषणा,बटवाडा,कब्जा,स्थाई निषेधाज्ञा चाही है। उक्त प्रकरण में वादग्रस्त आराजियात में कब्जे,घोषणा,बटवाडा से पहले विपक्षीगण द्वारा रहन बय बक्षीक्ष किया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। हक हकूक का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य एवं गवाही के उपरान्त ही हो सकेगा, तब तक वादग्रस्त भूमि को मूल वाद के निर्णय तक सुरक्षित रखाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण से अनावश्यक वाद बढ़ने की पूर्ण सम्भावना है। पक्षकारान के मध्य व्यर्थ की मुकदमेबाजी को रोकने के लिए न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 10.07.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में पूर्व में दिनांक 10.07.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म की जाती है कि विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा मालियाखेडी पटवार हल्का फलवा के आराजी नम्बर 63,64,65,66,67,68, 69,191 कुल किता 8 कुल रकबा 3.59 हैक्टेयर भूमि की मूल वाद के निस्तारण तक रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29/12/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियॉ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा